संख्या:74/2020/1753 ई-2/तेरह-2020-83/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 सितम्बर, 2020

विषय: मेसर्स एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज, लि. (डिस्टिलरी डिवीजन), जंगरौली पुल, पीलीभीत की क्षमता 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 210 लाख लीटर से बढ़ाकर 160 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-28/दो-प्रा.डी.-156, दिनांक 17.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव तथा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत मे. एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज, लि. (डिस्टिलरी डिवीजन), जंगरौलीपुल, पीलीभीत आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यदिवस के आधार पर 210 लाख ली. से बढ़ाकर 160 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यदिवस के आधार पर 560 लाख ली. वार्षिक किये जाने एवं विस्तारित की जाने वाली क्षमता के अन्तर्गत बाजार की मांग के अनुसार रेक्टिफाइड स्प्रिट अथवा अब्सोल्यूट अल्कोहल का निर्माण एवं बिक्री किये जाने की अनुमति पर इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in